:: न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चिखली
जिला–डूँगरपुर राजस्थान ::

पीठासीन अधिकारीः– सोनू कुमार गुर्जर RAS.

प्रकरण सख्याः–09/23 रेवेन्यु दायर दिनांकः–10.10.2023

1. श्री मंगला पिता रंगला जाति भील निवासी खोखरवा तहसील चिखली

––प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री बापू पिता नाथा रोत निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली।
2. तहसीलदार सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।

––अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र बाबत् पत्थरगढी कराने अन्तर्गत धारा 111 भू.रा.अधि.
सपठित धारा 151 जा.दी.

उपस्थितः–

1. श्री कान्तिलाल डामोर वकील प्रार्थी
2. श्री बालगोविन्द पाटीदार वकील अप्रार्थीगण

:: निर्णय :: दिनांक 25/06/2025

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी गांव खोखरवा व अप्रार्थीगण गांव डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर का स्थायी निवासी है। प्रार्थी खेतीबाडी कर अपना व अपने परिवारी का जीवन यापन कर रहा है।

यह कि प्रार्थी के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी मौजा खोखरवा में खाता संख्या 63 खसरा नम्बर 9 खेत किता 1 कुल रकबा 1.9416 है0 होकर काबिज होकर काश्त कराते आ रहे है।

यह कि प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजी होने से अप्रार्थीगण जबरन झंगडा फंसाद कर परेशान करते है। वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमण करने प्रार्थी से झंगडा फंसाद व जान से मारने की धमकीया देते है। जबकि प्रार्थी की रिकॉर्डेड आराजी है। जिस पर विवाद करने से लगातार विवाद बढने से प्रार्थना पत्र कारण लगातार उत्पन्न होने लगा।

यह कि अप्रार्थीगण को जरीये स्थायी निषेधाझा इस बात के लिए पाबंद किये जाने आवश्यक है कि वे प्रार्थी के कब्जे काश्त की मौजा खोखरवा में खाता संख्या 63 खसरा नम्बर 9 खेत किता 1 कुल रकबा 1.9416 है0 भूमि में किसी प्रकार का विवाद व प्रार्थी को काश्त करने में रूकावट पैदा नहीं करें। प्रार्थी की मौजा खोखरवा में खाता संख्या 63 खसरा नम्बर 9 खेत किता 1 कुल रकबा 1.9416 है0 वादग्रस्त आराजी का पत्थरगढी कराने आदेश फरमावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलबी हेतु नोटिस जारी किए गए। बाद नोटिस अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री बालगोविन्द पाटीदार ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया। अप्रार्थी तहसीलदार चिखली

से जवाब/रिपोर्ट प्राप्त हुई। वकील अप्रार्थीगण को कई अवसर देने पर भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब अप्रार्थीगण बंद किया जाता है। विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी। प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया, प्रार्थना पत्र के साथ सीमाज्ञान पर्चा मौका 12.04.2023 संलग्न है। प्रार्थीगण, उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढी, पत्थर लगाकर, स्थाई सीमा चिन्हों के साथ, पुलिस प्रशासन के साथ कराना चाहता है। ऐसे में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायसंगत होने से स्वीकार किया जाता उचित प्रतीत होता है।

::आदेश::

विद्वान अधिवक्ता की बहस एवं पत्रावली के अवलोकन पश्चात् न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि प्रार्थीगण की मौजा खोखरवा में खाता संख्या 63 खसरा नम्बर 9 खेत किता 1 कुल रकबा 1.9416 है0 भूमि स्थित है, जिसका सीमाज्ञान के आधार पर प्रार्थी पत्थरगढी करवाने का अधिकारी है। अतः तहसीलदार चिखली को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी की मौजा खोखरवा में खाता संख्या 63 खसरा नम्बर 9 खेत किता 1 कुल रकबा 1.9416 है0 भूमि की पत्थरगढी की कार्यवाही करें। पत्थरगढ़ी की कार्यवाही के दौरान निम्न बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित होवें:–

1. पत्थरगढ़ी की फीस प्रार्थीगण से प्राप्त कर राजकोष में जमा करवायें।
2. पत्थरगढ़ी की कार्यवाही से पूर्व, पडौसी खातेदारान को विधिवत् सूचित कर उभयपक्षकारान की उपस्थिति विधिक प्रक्रियानुसार पत्थरगढ़ी की कार्यवाही सम्पादित करें।
3. पत्थरगढ़ी के माध्यम से एक पक्ष से दूसरे पक्ष को कब्जा हस्तांतरण न करें।
4. मौके पर कब्जा सम्बन्धी वाद है तो इस आदेश की पालना में किसी भी प्रकार की कार्यवाही न करें।
5. कब्जा सम्बन्धी मामलों में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 में पृथक् से प्रावधान है। उस प्रक्रिया के माध्यम से अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है।

तहसीलदार चिखली आदेश की पालना कर रिपोर्ट न्यायालय में अविलम्ब पेश करें। तहसीलदार तहसील चिखली, थानाधिकारी पुलिस थाना कुंआ को तहरीर जारी कर, माकुल पुलिस जाब्ता प्राप्त करें।

(सोनू कुमार गुर्जर, आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
चिखली

उक्त निर्णय आज दिनांक 25/06/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
चिखली